| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**नन्दलाल बनाम नृसिंह लाल वर्मा**<br>**58/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00038)** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.08.21 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील को प्रत्याहरित किये जाने की अनुमति के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि मूल खातेदार नारायण पुत्र धन्ना, जाति बलाई की मृत्यु होने पर तत्कालीन अमीन अर्जुन लाल रैगर ने यह प्रकट किया कि मूल खातेदार नारायण की अविवाहित अवस्था में मृत्यु हो गई है तथा अपीलार्थीगण स्व. नारायण के भाई के प्रपौत्र होना प्रकट करते हुय अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण की माताजी ज्याना देवी के हक में फौती नामान्तरकरण संख्या 366 भरा जाकर तत्कालीन तहसील चौमू से इसे स्वीकृत करा लिया जबकि नारायण ना तो अविवाहित था एवं ना ही मांगू उसका भाई था वास्तविक स्थिति यह भी है कि स्व. नारायण का गौत्र गोठवाल है तथा अपीलार्थीगण का गौत्र खालिडिया है इसलिये भी अपीलार्थीगण स्व. नारायण के वंशज कदापि नही है जबकि वास्तविक स्थिति में यह भी है कि सच है नारायण ने अपने जीवनकाल में अपनी एक पुत्री भूरीदेवी पत्नी रामचन्द के पुत्र नृसिंह लाल को गोद लिया था, उपरोक्त भूरी देवी का देहावसान हो चुका है तत्कालीन अमीन द्वारा गलत तरीके से उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 366 दिनांक 22.09.2001 को स्वीकार कराके इसके माध्याम से अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण की माताजी ज्याना देवी को प्राप्त हुइ खातेदारी की भूमि के अधिकांश भाग का विक्रय पत्र अपनी पत्नी विमली देवी के हक में निष्पादित कराकर पंजीकृत करा लिया जिसके लिये अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण की माताजी ज्यानादेवी को प्रतिफल राशि भी अदा नही की गई, उपरोक्त समग्र अपराध तत्कालीन अमीन अर्जुन लाल रैगर द्वारा कारित किया गया था जिसके द्वारा कारित अपराध से अपीलार्थीगण स्वयं भी पीड़ित होकर शर्मिंदा है लिहाजा उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में अब अपीलार्थीगण उपरोक्त अपील को अब आगे नही चलाना चाहते एवं ना ही न्यायालय श्रीमान् से किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहते है तथा अपीलार्थीगण अपने द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आक्षेपित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2019 को पूर्णतः संतुष्ट है, ऐसी सूरत में अपीलार्थीगण को उपरोक्त अपील प्रत्याहृत किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को प्रत्याहृत किये जाने की अनुमति प्रदान कर अपील खारिज फरमाई जावें। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**नन्दलाल बनाम नृसिंह लाल वर्मा**<br>**58/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00038)** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हमने पत्रावली का अवोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पूर्व में अपीलान्ट्स द्वारा एक निगरानी एलआर संख्या 1644/2019 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी अपीलान्ट्स द्वारा को प्रत्याहृत किया जाने के कारण न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 05.12.2019 द्वारा विड्रो किये जाने की अनुमति दी जाकर कार्यवाही दाखिल दफ्तर की गई है और अपीलान्ट स्वयं ही न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील को भी प्रत्याहृत कर खारिज करना चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में अब अपीलान्ट्स इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स स्वयं के द्वारा अपनी अपील प्रत्याहृत किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(दिनेश कुमार यादव)<br>संभागीय आयुक्त<br>जयपुर। | |